रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2018/वैशाख 26, 1940
No. 317] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2018/VAISAKHA 26, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2018

सा.का.नि. 456(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ञञ) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके धन-शोधन निवारण (अभिलेख अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेख अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेख अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (14) में,-

(क) खंड (झ) में, "ऊपर उप-नियम (1) से उप-नियम (13) तक" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उप-नियम (1) से उप-नियम (13) तक और उप-नियम (15)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(झक) खंड (झ) के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में, ऐसे ग्राहकों को, जो चोट, रूग्णता या वृद्ध अवस्था के कारण शैथिल्य या अन्यथा और वैसे ही कारणों के कारण बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन करने में असमर्थ हैं, खाता आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समुचित छूट, परिसीमाएं और शर्तें तथा पहचान के वैकल्पिक तथा लाभप्रद साधन भी सम्मिलित होंगे ।";

(ग) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व उप-नियम (1) से (13) और उप-नियम (15) की अपेक्षाओं तथा खंड (झ) और खंड (झक) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समाविष्ट करते हुए, ग्राहक सम्यक तत्परता कार्यक्रम तैयार करेगा और उसके कार्यान्वित करेगा।";

[अधिसूचना सं. 4/2018/फा. सं. पी.12011/11/2016-ईएस सेल-डीओआर]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त 2013, सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1 जून, 2017, सा.का.नि. सं. 1038(अ), तारीख 21 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1057(अ), तारीख 23 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1300(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2017, सा.का.नि. सं. 1318(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017, और सा.का.नि. सं. 1506(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2018

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (i), clause (j), clause (jj) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in sub-rule (14) of rule 9, -

   (a) in clause (i), for the words, brackets and figures "sub-rules (1) to (13) above", the words, brackets and figures "sub-rules (1) to (13) and sub-rule (15)" shall be substituted;

   (b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

   "(ia) The guidelines issued under clause (i) shall also include appropriate exemptions, limitations and conditions and alternate and viable means of identification, to provide account based services to clients who are unable to undergo biometric authentication owing to injury, illness or infirmity on account of old age or otherwise, and such like causes.";

   (c) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely : —

   "(ii) Every reporting entity shall formulate and implement a Client Due Diligence Programme, incorporating the requirements of sub-rules (1) to (13) and sub-rule (15) and guidelines issued under clause (i) and (ia).".

[Notification No. 4/2018/F.No. P.12011/11/2016-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730 (E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015, number G.S.R. 347 (E), dated the 12th April, 2017, number G.S.R. 538 (E), dated the 1st June, 2017, number G.S.R. 1038 (E), dated the 21st August, 2017, number G.S.R. 1057 (E), dated the 23rd August, 2017, G.S.R. 1300 (E), dated the 16th October, 2017, G.S.R. 1318 (E), dated the 23rd October, 2017 and G.S.R. 1506 (E), dated the 12th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.16 15:13:16 +05'30'